

भारत सरकार Government of India  
रेल मंत्रालय Ministry of Railways  
रेलवे बोर्ड (Railway Board)

RBA No. 37/2023  
GST Circular No. 14/2023

No. 2017/AC-II/1/19/SPVs(part)

New Delhi dated 30.11.2023

General Managers,  
WR, SWR, SCR, ECoR, SECR & ECR

Sub:- Guidelines for issuing GST invoices for O&M charges against  
SPVs and accounting of GST invoices from SPVs for User  
charges.

Ref:- ED(Infra)-1's letter No 2017/Infra/18/2/dated 21.09.2023.

\*\*\*\*\*

Railway Board vide above referred letter has advised to SPVs that in terms of ministry of Finance Office Memorandum dated 04.01.2023, it would transfer apportioned revenue to SPVs inclusive of GST starting from FY 20232024. There are two transactions involved.

a. O&M charges payable by SPVs to Railways.

b. User charges payable by Railways to SPVs.

2. As on date IR is required to raise Tax invoices on its customer under forward charge mechanism. Therefore, all O&M charges recoverable from SPVs on Forward charge Mechanism will attract GST @ 18% . Similarly, SPVs share of apportioned revenue would include an element of 18% GST as clarified by Board vide letter ibid.

Following accounting processes are indicated for immediate implementation.

a) SPV will raise GST compliant Invoice on IR in respect of Apportioned Revenue, which would include GST @ 18%. For example, if apportioned revenue payable to a SPV is Rs. 100/-, the concerned SPV shall raise GST Invoice on the concerned Railway for Rs. 84.75 plus GST @ 18% of Rs. 15.25. Concerned Zonal Railway shall account for this Invoice in IPAS and will use appropriate Input Tax Credit Flags 'T4' or 'C2' as the case may be.

**Accounting Entries shall be as follows:**

Expenditure Head ---Dr. Rs. 84.75

Misc. Advance (GST) ---- Dr. Rs. 15.25 (T4 or C2-Flag)

Deposit Misc (SPV) ----- Cr.Rs. 100/-

b) Concerned Zonal Railway shall issue GST compliant Tax Invoice on the SPVs for O&M Charges. For example, if Rs. 10/- is recoverable from the SPVs, then IR shall issue GST Invoice with base value of Rs. 10/- plus GST @18% of Rs. 1.80 totaling to Rs. 11.80. Concerned Zonal Railway shall use the CRIS GST Manual utility system to generate Tax Invoice and report the same in the GST Returns.

**Accounting Entries shall be as follows:-**

-  
Deposit misc. (SPV) ----- Dr. Rs. 11.80

Deposit Misc.(Outward GST Liability) --- Cr. Rs. 1.80

Relevant Expenditure Head ----- Cr. Rs. 10.00

c) Basis above, net payment is to be made to SPV which works out to Rs. 88.20-(Rs. 100 Apportioned Revenue- O&M charges of Rs. 11.80.

**Accounting entries shall be as follows:-**

Deposit misc.(SPV) --- Dr. Rs. 88.20 (by clearing Rs. 100('a' above) and Rs. 11.80 ('b' above).

Cheques and Bills ---- Cr. Rs. 88.20

d) Outward GST liability of Rs. 1.80 as illustrated at (b) above gets offset by Input Tax Credit as brought out at (a) above, while discharging the GST liability by the Principal Railways every month.

3.It is clarified that:

- a. Rate of GST on O&M charges is 18%
- b. Invoicing for O&M charges is to be done within 7 days of working out of Apportioned earnings for SPV.

I/3083227/2023

- c. Payment to SPVs may be made only after SPV issues GST compliant Tax Invoice and after adjusting the O&M charges to be recovered from SPVs.
- d. Other Taxes and duties recoveries by IR viz., TDS etc shall be complied with as per statutory requirement.

This issues with the approval of competent authority.

Signed by

Vipul Tripathi

Date: 30-11-2023 19:30:14  
(Vipul Tripathi)

Director/Accounts

Railway Board

Email ID: vipul.tripathi@gov.in

Ph No: 8920027770

भारत सरकार/GOVERNMENT OF INDIA

रेल मंत्रालय/MINISTRY OF RAILWAYS

रेलवे बोर्ड/RAILWAY BOARD

आरबीए सं. 37/2023

जीएसटी परिपत्र सं. 14/2023

सं. 2017/एसी-11/1/19/एसपीवी (पार्ट)

नई दिल्ली, दिनांक 30.11.2023

महाप्रबंधक,

पश्चिम रेलवे, दक्षिण पश्चिम रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, पूर्वतट रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे एवं पूर्व मध्य रेलवे

विषय:- एसपीवी हेतु ओएंडएम प्रभारों के लिए जीएसटी बीजक जारी करने और उपयोगकर्ता प्रभारों हेतु एसपीवी से बीजकों के लेखांकन के लिए दिशा-निर्देश।

संदर्भ:- कार्यपालक निदेशक (अव.)-1 का दिनांक 21.09.2023 का पत्र सं. 2017/इंफ्रा/18/2.

\*\*\*\*\*

रेलवे बोर्ड ने उक्त संदर्भित पत्र के तहत एसपीवी को यह सूचित किया है कि वित्त मंत्रालय के दिनांक 04.01.2003 के कार्यालय ज्ञापन के अनुसार, वह एसपीवी को वित्त वर्ष 2023-2024 से आरंभ होने वाले जीएसटी सहित संविभाजित राजस्व हस्तांतरित करेगा। इसमें दो प्रकार के लेन-देन शामिल हैं।

क. एसपीवी द्वारा रेलों को देय ओएंडएम प्रभार।

ख. रेलवे द्वारा एसपीवी को देय उपयोगकर्ता प्रभार।

2. इस समय भारतीय रेल को अग्रेषण प्रभार तंत्र के अंतर्गत अपने ग्राहक पर कर बीजक तैयार करना अपेक्षित होता है। इसलिए, अग्रेषण प्रभार तंत्र पर एसपीवी से वसूल किए जाने वाले सभी ओएंडएम प्रभारों पर 18% की दर से जीएसटी लगेगा। इसी प्रकार, एसपीवी के संविभाजित राजस्व के भाग में 18% जीएसटी का एक तत्व शामिल होगा, जैसाकि बोर्ड ने पूर्वोक्त पत्र के तहत स्पष्ट किया है।

तत्काल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित लेखांकन प्रक्रियाएं दर्शायी गई हैं।

क) एसपीवी संविभाजित राजस्व के संबंध में भारतीय रेल पर जीएसटी अनुवर्ती बीजक तैयार करेगा, जिसमें 18% की दर से जीएसटी शामिल होगा। उदाहरण के लिए, यदि किसी एसपीवी को देय संविभाजित राजस्व 100/- रुपये है, तो संबंधित एसपीवी संबंधित रेलवे पर 84.75/- रुपये + 18% की दर से 15.25/- रुपये का जीएसटी बीजक तैयार करेगा। संबंधित क्षेत्रीय रेल इस बीजक को आईपीएस में दर्ज करेगी और इसके लिए उपयुक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट फ्लैग 'टी4' या 'सी2' का उपयोग करेगी, जैसा भी मामला हो।

लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार की जाएंगी:-

व्यय शीर्ष --- डेबिट 84.75/- रुपये

विविध अग्रिम (जीएसटी) ---- डेबिट 15.25/- रुपये (टी4 या सी2- फ्लैग)

विविध जमा (एसपीवी) ----- क्रेडिट 100/- रुपये

ख) संबंधित क्षेत्रीय रेल ओएंडएम प्रभारों के लिए एसपीवी पर जीएसटी अनुवर्ती कर बीजक जारी करेगी। उदाहरण के लिए, यदि एसपीवी से 10/- रुपये वसूलनीय हैं तो भारतीय रेल 10/- रुपये के आधार मूल्य + 18% की दर से 1.80/- रुपये के जीएसटी के साथ कुल 11.80/- रुपये का जीएसटी बीजक जारी करेगी। संबंधित क्षेत्रीय रेल कर बीजक जनरेट करने के लिए क्रिस जीएसटी मैन्यूअल यूटिलिटी सिस्टम का उपयोग करेगी और जीएसटी रिटर्न में इसका उल्लेख करेगी।

लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार की जाएंगी:-

विविध जमा (एसपीवी) ----- डेबिट 11.80/- रुपये

विविध जमा (जावक जीएसटी देयता) ----- क्रेडिट 1.80/- रुपये

संबंधित व्यय शीर्ष ----- क्रेडिट 10.00 रुपये

ग) उक्त के आधार पर, एसपीवी को किया जाने वाला शुद्ध भुगतान 88.20/- रुपये निकाला गया है (संविभाजित राजस्व 100/- रुपये - ओएंडएम प्रभार 11.80/- रुपये)

लेखांकन प्रविष्टियां निम्नानुसार की जाएंगी:-

जमा विविध (एसपीवी) ----- डेबिट 88.20/- रुपये ( 100/- रुपये (ऊपर 'क') और 11.80/- रुपये (ऊपर 'ख') क्लीयर करते हुए)

चेक एवं बिल ----- क्रेडिट 88.20/- रुपये

घ) 1.80/- रुपये की जावक जीएसटी देयता जैसा ऊपर (ख) में दर्शाया गया है, प्रत्येक माह प्रधान रेलवे द्वारा जीएसटी देयता की अदायगी करते समय इनपुट टैक्स क्रेडिट द्वारा समायोजित होती है जैसा ऊपर (क) में बताया गया है।

3. यह स्पष्ट किया जाता है कि:

- क. ओएंडएम प्रभारों पर जीएसटी की दर 18% है।
- ख. एसपीवी हेतु संविभाजित अर्जन निकालने के 7 दिनों के भीतर ओएंडएम प्रभारों के लिए बीजकीकरण किया जाना है।
- ग. एसपीवी द्वारा जीएसटी अनवुर्ती कर बीजक जारी करने के पश्चात् और एसपीवी से वसूल किए जाने वाले ओएंडएम प्रभारों के समायोजन के पश्चात् ही एसपीवी को भुगतान किया जाए।
- घ. भारतीय रेल द्वारा अन्य करों और शुल्क वसूलियाँ अर्थात् टीडीएस आदि का अनुपालन सांविधिक आवश्यकताओं के अनुसार किया जाएगा।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जा रहा है।



(विपुल त्रिपाठी)

निदेशक/लेखा

रेलवे बोर्ड

ईमेल आईडी: [vipul.tripathi@gov.in](mailto:vipul.tripathi@gov.in)

दूरभाष सं. 8920027770